



फद अहकाम  
(नियम 26)  
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

गंगारानी बनाम पीयुष चाण्डक

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर...32.../2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.06.18	<p>अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यपाल सहू उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्ध हो। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही महाजन की गत् खसरा नम्बर 852/15 तादादी 50 बीघा जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 19 तादादी 0.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 25 तादादी 0.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 26 तादादी 7.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 32 तादादी 0.01 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 33 तादादी 3.50 हेक्टर इस प्रकार कुल तादादी 12.65 हेक्टर पैमूद हुए। उक्त भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09-10-2009 को अपीलांट द्वारा कय की गई तथा वादगत् भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 3193 अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है।</p> <p>इस प्रकार अपीलांट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि पर एकतरफा तौर पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19-12-2017 को जारी की गई है। जिसकी अवधि निरन्तर बढ़ाई जाती रही है।</p> <p>उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि पर कब्जा करने पर व अपीलांट को बेदखल करने पर अमादा है। वादगत् भूमि अपीलांट की तारबन्दी की हुई है तथा मौके पर कुआं एवं ट्यूबवैल बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 12-04-2018 को जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है फिर भी अदालत मातहत</p>	

द्वारा प्रकरण में जानबूझ कर बहस नहीं सुनी जा रही है तथा निरन्तर प्रकरण में पेशी दी जाती रही है तथा अदालत मातहत द्वारा बहस नहीं सुनी जा रही है। अदालत मातहत के समक्ष जैरकार प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त 6 बार बहस हेतु पेशी दी जा चुकी है। जिससे प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार की कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। रस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादगत् भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है।

अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-12-2017 की पालना ताफैसला अपील स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19-12-2017 को वादगत् भूमि वाके काम महाजन के खसरा नम्बर 26 तादादी 7.99 हेक्टर में से 1.66 हेक्टर पासा उत्तरी व खसरा नम्बर 21 की 1.97 हेक्टर कुल 3.63 हेक्टर भूमि की बाबत् मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने पत्रावली के साथ अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् दिनांक 19-12-2017 को आगामी तारीख पेशी तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए आदेश पारित करें।

अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र व अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर।